COLLEGE OF AGRICULTURE

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER (JAIPUR) RAJASTHAN)
KUMHER-DEEG, 321201

Prof. R.K. Meena
Dean

Mobile No.: 8005842512
Email: dean.coabharatpur@sknau.ac.in

No. F. /Store/OT/COA-K/2026/7169 Dated: 09.06.2026

खुली बिड सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के फार्म में 80 m x 30 m x 2.5 m साईज के कच्चे पोण्ड की खुदाई करवानी है, जिसकी खुदाई कर मिट्‌टी को निविदादाता अपने संसाधन से महाविद्यालय परिसर में बताए गए स्थान पर डालनी है तथा जिसकी दर रुपए प्रति घन मीटर से निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करनी होगी । इस कार्य हेतु कार्यालय से निविदा प्रपत्र दिनांक 15.06.2026 प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जमा करावें। प्राप्त निविदा उसी दिन दोपहर बाद 1.0 बजे समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र की शुल्क राशि रु. 500/– एवं धरोहर राशि 20000/– रुपये जरिए यूपीआई/डीडी जो कि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय भरतपुर के नाम से देय होगी, जमा करानी होगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। सभी शर्तें निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई हैं। बिड से सम्बधित विवरण वेब साईट sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रूं (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (रू. में)	बिड शुल्क (रू. में)
1	कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के फार्म में 80 m x 30 m x 2.5 m साईज के कच्चे पोण्ड की खुदाई करवानी है तथा मिट्‌टी को निविदादाता अपने संसाधन से महाविद्यालय परिसर में बताए गए स्थान पर डालनी है।	9.80	20,000	500
		9.80	20,000	500

(आर.के.मीना)
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. वित–नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि ई–बिड खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करे।
3. श्रीमान आयुक्त सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड सूचना का अखवार में न्यूनतम दरों में प्रकाशन हेतु।
4. श्रीमान जनरल मैंनेजर, जिला उद्योग सेंटर, केन्द्रीय विद्यालय के पास? रीको रोड भरतपुर–321001 Email: dicbharatpur@rajasthan.gov.in
5. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
6. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी/फार्म प्रभारी, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
8. नोटिस बोर्ड (नगर पालिका/कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उप केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र

अधिष्ठाता

निविदा की शर्तेः–

1. निविदाऐं सीलबंद लिफाफे में निविदादाता के हस्ताक्षर कर दिनांक 15.06.2026 दोपहर 12:00 बजे तक जमा करावें।
2. मिट्टी उठाने का कार्य तुरन्त शुरु कर शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना होगा।
3. पोण्ड खुदाई का कार्य फार्म प्रभारी के दिशानिर्देशन में करना होगा तथा दिए गए माप के आकार के अनुसार करना होगा।
4. निविदादाता को स्वयं के जेसीबी से कार्य करना होगा तथा जिसका रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा वाहन चालक का लायसेंस की स्वहस्ताक्षरित प्रतियॉ निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवानी होंगी।
5. मिट्टी की ढुलाई में लगाए गए ट्रैक्टरों के चालक लाईसेंस धारी होने चाहिए जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. निविदादाता के पास जी.एस.टी., पैंन कार्ड, आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रतियॉ निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवानी होंगी।
7. मिट्टी भरने / उठाने तथा परिसर में बताए गए स्थान पर पहुंचाने का कार्य मिट्टी निविदादाता को स्वयं अपने यंत्रों / ट्रैक्टर ट्राली द्वारा करना होगा।
8. उक्त कार्य प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक ही करना होगा।
9. पोण्ड की गहराई चारो तरफ से समान रखनी होगी।
10. मिट्टी उठाने / परिसर तक लाने में कोई भी क्षति / दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
11. निविदा प्रपत्र में देय कीमत (रुपये) भरते समय किसी भी प्रकार की काट–छांट स्वीकार नही होगी।
12. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं अलग–अलग प्रस्तुत करनी होंगी।
13. निविदादाता के संसाधनों या श्रमिकों द्वारा कार्यालय एवं फार्म की संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति निविदादाता द्वारा की जावेगी।

अन्य आवश्यक शर्तें–

1. बिड हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी :–

किसी भी सीमा तक	:	एए श्रेणी संवेदक
रू. 1000 लाख तक	:	ए श्रेणी संवेदक
रू. 500 लाख तक	:	बी श्रेणी संवेदक
रू. 150 लाख तक	:	सी श्रेणी संवेदक
रू. 30 लाख तक	:	डी श्रेणी संवेदक

2. बिडदाता द्वारा बोली प्रतिभूति राशि एवं बिड शुल्क, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के नाम से कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को सुबह 12.00 बजे तक जमा करवानी है।
3. **कच्चे फार्म पोण्ड की खुदाई में टेपर में करनी होगी। पोंड के धरातल का मूल नाप 80 m x 30 m x 2.5 m होगा तथा भुगतान हेतु समस्त नाप (लंबाई एवं चौडाई) नीचे धरातल से की जाएगी।**
4. बिड प्रपत्रों हेतु आवेदन डाउनलोड की अवधि दिनांक 09.06.2026 से 15.06.2026 प्रातः 11 बजे तक रहेगी।
5. बिड अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर जिला डीग–321201 कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को दोपहर बाद 01 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन कार्यालय समय में बिड खोली जायेगी।
6. कार्य के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 09.06.2026 से दिनांक 15.06.2026 प्रातः 11 बजे तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में बिड प्रपत्र तथा मौका देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट sknau.ac.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बिड प्रपत्रों में बिडकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा बिडकर्ता की पात्रता एंव दरों का विवरण, नियम, शर्ते एंव अन्य विवरण वर्णित है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति / पत्नि) कार्य से सम्बंधित कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर में अधिकारी / कर्मचारी वर्ग मे किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. विश्वविद्यालय में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी विश्वविद्यालय अनुमति के बिना सेवानिवृति के 2 वर्ष तक संवदेक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही

कर सकेगें यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय की उक्त लिखित अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा ।

9. किसी भी बिड को स्वीकार करने एंव बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्लयु ए–100 (आज दिनांक तक संशोधित) की समस्त शर्ते मान्य होगी।

10. संवेदक द्वारा निम्न दस्तावेज बिड के साथ संलग्न करने पर ही उनकी बिड को पात्र समझा जायेगाः–

(क) फर्म का ठेकेदारी के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(ख) GST पंजीयन प्रमाण पत्र।

(ग) बिड में दर्शाये अनुसार बोली प्रतिभूति राशि, बिड शुल्क, की DD या बैंकर्स चैक के द्वारा देय होगी।

(घ) संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार 100/–रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र तथा अन्य घोषणाए यथा A, B, C.

(ड) बोली प्रतिभूति मे छूट प्राप्त करने संबंधी वि. वि. में पंजीयन होने के प्रमाण–पत्र/कार्यालय आदेश की छाया प्रति।

(च) पेन कार्ड की छाया प्रति।

11. बिडदाता द्वारा दी गई दरें तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 90 दिनों तक मान्य रहेगी।

12. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1 अपीलः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिष्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र–'य') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

13. <u>अपील का प्ररूप –</u>

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र –'य') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, डीग/भरतपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय कुम्हेर

परिशिष्ठ 'क'

100/– रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप
(नोटेरी से तस्दीक होना चाहिए)

मैं .... (नाम) .... (पिता का नाम) .... (उम्र) .... जाति .... व्यवसाय .... निवासी का हूँ जो कि शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि–

1. मैं मेरी/हमारी फर्म .... का एक मात्र मालिक/हिस्से दार हूँ तथा में यह घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हूँ।
2. मेरी/हमारी फर्म .... विभाग .... में .... श्रेणी में स्थायी/अस्थायी रूप से पंजीकृत है तथा यह पंजीयन आज दिनांक तक वैध है।
3. मेरे द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ... द्वारा जारी बिड सूचना संख्या .... में वर्णित पात्रता सम्बन्धी समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मुझे PWF&AR, RTPPA 2012, RTPPR 2013 के प्रावधान तथा अनुबंध पत्र मे उल्लेखित की जाने वाली समस्त शर्ते मान्य है एवं मेरी/हमारी फर्म उक्त बिड के कार्य क्रम संख्या .... में बिड भरने हेतु पात्र है।
4. इन कार्यो को करने हेतु मेरी/हमारी फर्म के पास आवश्यक समस्त मशीनरी एवं अन्य संशाधन उपलब्ध है।
5. मेरे द्वारा उक्त बिड में प्रस्तुत किए गये समस्त दस्तावेज पूर्णतः वैध है तथा समस्त तथ्य सही है। मैने कोई भी तथ्य छिपाया/घटाया/बढाया नही है।

उपरोक्त शपथ पत्र के क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी निजि जानकारी अनुसार सही है जिन्हे मै सही होना मानता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

फर्म का पूरा पता ....
....

पैन नंबर ....

मोबाईल नंबर ....

ई–मेल आई डी ....

बैंक का विवरण ....

बैंक का नाम मय शाखा ....

खाता संख्या ....

IFSC Code ....

(हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता)

दिनांक ....

स्थान ....

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2022–23	
2	2023–24	
3	2024–25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

दिनांक :

हस्ताक्षर ई–बिडदाता
एवं सील

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

UDIN ....

प्रपत्र –'A'

बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सेवाओं/संकर्मों के लिए बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम अधिकृत फर्म हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र –'B'

बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन मालों/सेवाओं/संकर्मों को जहाँ कही भी प्रदान की है, वहां विगत 3 वर्षो में सेवाओ मे कमी होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

बिडदाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र –'C'

Price fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जो सेवा/मालं सप्लाई/संकर्म किये जायेंगे, उसमे वर्तमान खुली बोली की प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि मे समान तरह के संकर्म नहीं किये जायेंगे और यदि कम दरों पर ऐसे संकर्म किये जाते है तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –य

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.................of......................

Before the.................................... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

   ....

   ....

   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   ....

   ....

Place .... Date

....

Appellant's Signature

1. First Appellant Authority: Vice Chancellor, SKNAU, Jobner.
2. Second Appellant Authority: Principal Secretary.

चैक लिस्ट–

क्र. सं.	विवरण	संलग्न पृष्ठ सं.
1	फर्म का ठेकेदारी के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
2	GST पंजीयन प्रमाण पत्र।	
3	बिड में दर्शाये अनुसार बोली प्रतिभूति राशि, बिड शुल्क, की DD या बैंकर्स चैक	
4	संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार 100/–रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र	
5	बोली प्रतिभूति मे छूट प्राप्त करने संबंधी वि. वि. में पंजीयन होने के प्रमाण–पत्र/कार्यालय आदेश की छाया प्रति।	
6	पेन कार्ड की छाया प्रति।	
7	forfeit नहीं किया गया है बिडदाता द्वारा घोषणा	
8	ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है.बिडदाता द्वारा घोषणा	
9	Price fall clause प्रमाण पत्र	
10	टर्न ओवर प्रमाण मय यू.डी.आई.एन. प्रमाण पत्र स	
11	जेसीबी/अन्य यंत्रों/ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा वाहन चालक का लायसेंस की स्वहस्ताक्षरित प्रतियॉ	

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Financial Bid

(Envelop No, 02)

निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें –

क.सं.	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा राशि प्रति घन मीटर (रुपये)
1.	कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के फार्म में 80 m x 30 m x 2.5 m साईज के कच्चे पोण्ड की खुदाई करवानी है तथा मिट्टी को निविदादाता अपने संसाधन से महाविद्यालय परिसर में बताए गए स्थान पर डालनी है। **भुगतान हेतु समस्त नाप (लंबाई एवं चौडाई) पोण्ड के नीचे के धरातल से की जाएगी।**	

निविदादाता हस्ताक्षर

पता :–

मो.नं.–

Condition:-

1. Rates will be including of all taxes, fuel, machinery, driver etc.